NIB-SCB2324A0004

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर (राजस्थान)

क्रमांकः लेखा / 2023–24 / 38 दिनांक :– 01/12/23

निविदा सूचना

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर की केन्द्रियकृत प्रतिलिपि शाखा, कार्यालय / न्यायालय हेतु वर्ष 2024 के लिये फोटोस्टेट कार्य हेतु खुली निविदा जीएसटी रजिस्टर्ड / पंजीकृत सोसायटी / फर्म से मोहरबंद निविदाऐं आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र शुल्क 200 / – जमा कराकर अथवा बेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में फार्म मूल्य 200 / – का व अमानत राशि 2 प्रतिशत का डी.डी. **DISTRICT & SESSIONS JUDGE, BHARATPUR** के पक्ष में देय होगा। निविदा का सम्पूर्ण विवरण एवं शर्तें विभागीय वेबसाईट https://bharatpur.dcourts.gov.in एवं राजस्थान सरकार के पोर्टल के http://sppp.rajasthan.gov.in पर तथा इस कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को देखी जा सकती है ।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि 2 प्रतिशत	कार्य सम्पादन प्रतिभूति
01.	फोटोस्टेट कार्य	4.50 लाख	9,000 / –	22500 / –

निविदाएँ दिनांक 01.12.2023 से दिनांक 11.12.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक विक्रय किया जाकर दिनांक 11.12.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी तथा निविदाऐं दिनांक 11.12.2023 को ही दोपहर 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में खोली जावेंगी। शर्तें निविदा प्रपत्र में देखी जा सकती है।

अध्यक्ष, फोटोस्टेट टेण्डर समिति
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0–3)
जिला एवं सेशन न्यायालय, भरतपुर

क्रमांकः– लेखा / 2023–24 / 864-871 दिनांकः– 01/12/23

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय, भरतपुर
2. संपादक, दैनिक भास्कर, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि डी.पी.आर. दरों पर भरतपुर संस्करण में 9X12 से0मी0 में एक बार प्रकाशित कर बिल **जिला एवं सैशन न्यायाधीश, भरतपुर** के नाम प्रेषित करावें।
3. नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय / संभागीय आयुक्त कार्यालय / जिला कलक्टर / जिला कोषालय / सूचना केन्द्र भरतपुर।
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि https://bharatpur.dcourts.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर उक्त विज्ञप्ति अपलोड करें।

–Sd–

अध्यक्ष, फोटोस्टेट टेण्डर समिति
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0–3)
जिला एवं सेशन न्यायालय, भरतपुर

कार्यालय : जिला एवं सैशन न्यायालय, भरतपुर
फोटोस्टेट निविदा प्रारूप

निविदा शुल्क राशि 200/–.

जिला एवं सेशन न्यायलयं, भरतपुर की प्रतिलिपि शाखा एवं कार्यालय/न्यायालय हेतु फोटोस्टेट कार्य की निविदा

1. निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म का नाम, पता, मोबाईल नंबर/फोन नंबर, ई–मेल आई.डी. ....
....
....
....
2. सन्दर्भ निविदा सूचना सं0 .... दिनांक ....
3. निविदा शुल्क राशि 200/–. नगद रसीद सं0/डी0डी0. नं .... एवं दिनांक ....
4. अमानत राशि रूपये 9000/– (निविदा लागत राशि रूपये 4.50000/– का 2 प्रतिशत) का डी0डी0. नं.................... .... दिनांक .... (डी0डी0 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर के नाम बनवावें)
5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं. मय प्रतिलिपि ....
6. फर्म की न्यायालय से दूरी ....
7. फोटोस्टेट हेतु जनरेटर सुविध उपलब्ध है या नहीं (हॉ/नहीं) ....
8. फर्म की अण्डरटेकिंग कि जिन लेख पत्रों की फोटोस्टेट प्रतिलिपियॉ फर्म द्वारा तैयार की जावेंगी उनके लिये फर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को सूचना नहीं दी जावेगी अर्थात समस्त कार्य की गोपनीयता बरती जावेगी।
9. फोटोस्टेट कार्य की दरें लाइट व जनरेटर की एक देनी होगी।
10. दरें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय फोटोकॉपी की एक ही देनी होगी।
11. फोटोस्टेट कार्य का समय न्यायालय समयानुसार करना होगा।
12. किसी दस्तावेज की प्रथम, द्वितीय व तृतीय प्रतिलिपि का नमूना टेण्डर फॉर्म के साथ संलग्न कर दिया गया है।
13. निविदा का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क्र.सं.	फोटोस्टेट कार्य का नाम	फोटोस्टेट कार्य की दर मय समस्त कर, दर व खर्च प्रति कॉपी (ए4 व लीगल पेपर की दर एक ही देनी होगी)
1	साधारण फोटोस्टेट	
2	रंगीन फोटोस्टेट	
3	ब्ल्यू प्रिंट	

14. दरें 31.12.2024 तक के लिए मान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकता है।
15. दरें प्रति कॉपी प्रस्तुत करनी होंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मुहर

घोषणा–पत्र

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि अध्यक्ष, फोटोस्टेट टेण्डर समिति, जिला न्यायालय, भरतपुर का निर्णय मेरे/हमारे लिये मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म द्वारा वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/सामग्री/तकनीकी अनुभव आदि उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशाषी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को डिबार नहीं किया गया है। प्रतीक स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय सील) कर दिए हैं। यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा, तथा बिड को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, उसे रद्द किया जा सकेगा। जिन लेख पत्रों की फोटोस्टेट प्रतिलिपियॉ फर्म द्वारा तैयार की जावेंगी उनके लिये फर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को सूचना नहीं दी जावेगी अर्थात समस्त कार्य की गोपनीयता बरती जावेगी।

दिनांकः–

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मुहर

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर (राजस्थान)

फोटो स्टेट निविदा की सामान्य शर्ते

1. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
2. निविदा द्वारा अनुमोदित की गई दरें दिनांक 31.12.2024 तक के लिये विधिमान्य होंगी । इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार बढाया जा सकंगा । (निविदा शर्त संख्या– 27 के अनुसार)
3. निविदा खोलने की दिनांक को अगर राजकीय अवकाश होता है तो निविदा आगामी कार्य दिवस को खोली जावेगी ।
4. इसके साथ जीएसटी कर पंजीयन का प्रमाण–पत्र की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं होगी ।
5. स्वीकार नहीं की गई निविदाओं या लौटाऐं गये प्रारूपों या प्रस्तुति नहीं की गई निविदाओं के लिये निविदा फीस प्रतिदाय योग्य नहीं है ।
6. निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 07 दिवस में धरोहर राशि 5 प्रतिशत जमा करवाना अनिवार्य है अन्यथा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी एवं निविदा निरस्त की जायेगी ।
7. निविदा भरते समय संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप निविदा प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।
8. जिस फर्म की दरें स्वीकृत की जावेगी उसे 500/– रू. नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुवन्ध करना होगा । जिसका व्यय संबंधित फर्म को वहन करना होगा एवं पूर्व में जमा 2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी को समायोजित करते हुये शेष अनुमानित लागत की राशि की राशि 3 प्रतिशत के वरावर अतिरिक्त प्रतिभूति राशि कुल 5 प्रतिशत (सिक्योरिटी डिपोजिट) के रूप में जिला एवं सेशन न्यायालय, भरतपुर के कार्यालय में 07 दिवस में जमा करानी होगी ।
9. निविदा सूचना एवं निवदा प्रपत्र के संलग्न निविदा शर्तें की पालना नहीं करने पर अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी ।
10. धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज काभुगतान नहीं किया जावेगा ।
11. प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण (जब्त) किया जावेगा ।
    (अ) जब निविदा/संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो ।
    (ब) जब निविदा दाता संपूर्ण कार्य संतोषजनक रूप से करने में असफल रहा हो ।
    (स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा । इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।
12. निविदा सूचना में वर्णित मात्रा में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है ।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र भरतपुर होगा ।
14. निविदादाता जीएसटी अधिनियम/संबंधित कार्य करन के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी होना चाहिये ।
15. निविदा वित्तीय बिड में दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जावेगी ।
16. निविदायें, निविदाओं में प्रस्तुत दरें उनके स्वीकृत की जाने की तारीख से 31.12.2024 की अवधि के लिये विधिमान्य होगी ।
17. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
18. (i)सुपुर्दगी अवधि :– निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए, को न्यायालय समयानुसार फोटोस्टेट कार्य करना होगा । आकस्मिकता होने पर अतिरिक्त समय अथवा अवकाश के दिन भी फोटो स्टेट कार्य करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है । निर्देशानुसार कार्य संपादिरत करना होगा एवं इस कार्यालय के लिये कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा । फोटोस्टेट कार्य हेतु कागज ए–4 एवं लीगल साईज में पर्याप्त मात्रा में रखना होगा ताकि कागज के अभाव में कार्य वाधित न हो । फोटोस्टोट कार्य के लिये कार्यालय द्वारा दिये गये दस्तावेजों को पूर्ण गोपनीयता के लिये भी ठेकेदार जिम्मेदार होगा । उल्लंघन की स्थिति में ठेकेदार एवं संबंधित मशीन चालक के विरूद्ध संविदा शर्तों तथा अपराधिक कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

(ii) यदि कार्यकारी संस्था किन्हीं निविदत कार्यों को नहीं कराता है या निविदा दा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में संपादित कराता है, तो निविदादाता किसी क्षेतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा ।

19.आपूर्तिकर्ता को आदेशित सामग्री का न्यायालय की मांग के अनुसार आपूर्ति करनी होगी । इससे भिन्न आईटम का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

20.बयाना / अमानत राशि :–

(क) बयाना राशि का प्रतिदाय असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटायी जाएगी ।

(ख) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है ।

21.भुगतान किसी भी मामले में अग्रिम भुगतान प्रदाय नहीं किया जाएगा ।

22.यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्रवाई कर रद्द कर दिया जाएगा ।

23.निविदादाता द्वारा करार को निष्पादित करते समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ।
यदि भागीदारी फर्म है तो भागीदारी विलेख(पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति
यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत है तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
एक मात्रा स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता एवं टेलीफोन नंबर
कंपनी के मामले में क्ंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र

24.उक्त दरें अनुमोदन की तिथी से 31.03.2024 तक प्रभावी रहेगी ।

25.अन्य समस्त शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन के अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों व राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा नवीन आदेशें तथा जी.एस.टी. व अन्य आदेशें के अध्यधीन होगी । निविदा प्रकिया के निर्णय सं संबद्ध कार्मिकों / अधिकारीयों तथा कय आदेश देवे वो अधिकारियों / कार्मिकों / लोकसेवकों / संदि कर्मियों के परिजन निविदा में भाग नहीं ले सेंगे ।

26.राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम अन्तर्गत नियम (80) के तहत सत्यनिष्टा संहिता की पालना आवश्यक रूप से की जायेगी ।

27.निविदा को वढाया जाना यदि आवश्यक हुआ तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित नियम 2013 के प्रावधानुसार 73(2) बी के अनुसार मूल संवदा के मान व सेवाओं के मूल्य के 50 प्रतिशत तक आनुपातिक रूप से निविदा की समयावधि बढाई जा सकेंगी ।

28.सभी दरें खर्चों एवं करों (टीडीएस, जीएसटी, रॉयल्टी,टैक्स इत्यादि) सहित दी जावे ह।

29.धरोहर राशि / प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज भुगतान नहीं किया जावेगा ।

30.फर्म की अण्डरटेकिंग कि जिन लेख पत्रों की फोटोस्टेट प्रतिलिपियॉ फर्म द्वारा तैयार की जावेंगी उनके लिये फर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को सूचना नहीं दी जावेगी अर्थात समस्त कार्य की गोपनीयता बरती जावेगी।

31.फोटोस्टेट कार्य की दरें लाइट व जनरेटर की एक देनी होगी।

32.दरें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय फोटोकॉपी की एक ही देनी होगी।

33.फोटोस्टेट कार्य का समय न्यायालय समयानुसार करना होगा।

34.किसी दस्तावेज की प्रथम, द्वितीय व तृतीय प्रतिलिपि का नमूना टेण्डर फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।

मैं / हम निविदा सूचना एवं उपरोक्त प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों को मानने हेतु सहमत हूँ ।

दिनांक :–

स्थान :– **हस्ताक्षर संवेदक मय सील**

मोबाईल नं. व पता